रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2015/फाल्गुन 12, 1936
No. 476] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2015/PHALGUNA 12, 1936

शहरी विकास मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2015

का. आ. 651(अ).—यत: दिल्ली के मास्टर प्लान में अधोउल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23-05-2014 की सं. का. आ. 1359(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित कोई भी आपत्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे; और

3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार के बाद, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

4. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है

संशोधन :

पॉकेट आर-17 में सिमिटरी के लिए 4198.12 वर्गमीटर के आकार का स्थल और साथ लगे सेक्टर-40, रोहिणी, फेज-V में प्रस्तावित शमशान घाट और कब्रिस्तान के लिए "आवासीय" से "सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं (सिमिटरी)" के भूमि उपयोग को निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित कर दिया है:—

उपस्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	भूमि उपयोग (दि. मु. यो-2021 के अनुसार	परिवर्तित भूमि उपयोग जिसमें परिवर्तन किया जाना है	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सैक्टर-40, रोहिणी, फेज-V में पाकेट आर-17 में	4198.12	'आवासीय'	"सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (सिमिटरी)	उत्तर: क्रिमेशन ग्रांउड (शमशान घाट) पूर्व 5 मीटर चौड़ा हरित

(1)	(5)
और प्रस्तावित क्रिमेशन ग्रांउड (शमशान घाट) तथा बरियल ग्रउंड (कब्रिस्तान) से सटा हुआ	क्षेत्र एवं आवासीय दक्षिण: आवासीय पश्चिम: आवासीय

[फा. सं. के -13011/32/2014-डीडी-I]
सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March , 2015

S.O. 651(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 1359 (E) dated 23.05.2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, no Objection/suggestion has been received in regard to the proposed modification; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The change of land use from "Residential" to "Public and Semi Public Facilities (Cemetery)" for the site measuring 4198.12 sqmt for cemetery in Pocket R-17 and adjoining to proposed cremation ground (Shamshan Ghat) and Burial Ground (Kabristaan) in Sector-40, Rohini Phase-V is changed as per description listed below:—

Location	Area (in sqm.)	Land Use as per MPD-2021	Land use charmed to	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
In Pocket R-17 and adjoining to proposed Cremation Ground (Shamshan Ghat) and Burial Ground (Kabristaan) in Sector 40 Rohini Ph.-V.	4198.12	Residential	Public & Semi-Public Facilities (Cemetery)	North- Cremation Ground (Shamshaan Ghat) East- 5m wide Green and Residential South- Residential West- Residential

[F. No. K-13011/32/2014-DD-I]
SUNIL KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.